18.10.16 → पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार सरमाड़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पत्र क्रमांक भू.अ/2016/5837 दिनांक 3.10.16 का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट से पाया जाता है कि राजस्व मानचित्र में अंकित खसरा नम्बर 1449/447 राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है, न ही किसी अन्य खातेदार के नाम दर्ज है। इसी प्रकार बाड़ी मोहनलाल पुत्र देवीलाल कौम कलाल के नाम ग्राम हिगौनिया की जमाबंदी सं. 2070-73 के खाता सं. 209 में अंकित खं. नं. 1445/447 राजस्व मानचित्र में अंकित नहीं है यह अशुद्धि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा वर्ष 2007-08 में उपलब्ध करवायी गयी राजस्व मानचित्र की प्रति (प्लास्टिक शीट) के समय से है।

राजस्व मानचित्र के अंकित खसरा नम्बर 1449/447 को यथावत रखते हुए बाड़ी मोहनलाल पुत्र देवीलाल कलाल के नाम अंकित खं.नं. 1445/447 के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में 1449/447 दर्ज करने के आदेश निर्णय में अंकित करने की प्रार्थना की है।

अत: निर्णय व डिक्रि दिनांक 11.5.16 में अंकित खसरा नम्बर 1445/447 के स्थान पर खसरा नम्बर 1449/447 अंकित लाल स्याही से किये जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

G7

SDO Sarmra